155

संख्या– /XLI-1/2015-24(प्रशि0)/2013-TC

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
हल्द्वानी–नैनीताल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 04 जनवरी, 2016

विषयः एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–12390/डीटीईयू/प्रशि0/एस0सी0पी0/2015, दिनांक 27.08.2015 तथा पत्र संख्या –12391/डीटीईयू/प्रशि0/टी0एस0पी0/2015 दिनांक 27.08.2015 तथा पत्र संख्याः संख्या–11978/डीटीईयू/0202/ब0रि0/2015–16 दिनांक 24.08.2015 तथा पत्र संख्या–595/डीटीईयू/प्रशि0/एस0सी0पी0/2015 दिनांक 30.11.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0सी0एस0पी0 एव टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि को अवमुक्त करते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(क) एस0सी0एस0पी0:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 **अनुदान संख्या 30** **आयोजनागत**

लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 0201–आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान)।

धनराशि हजार रू0 मे

मद संख्या एवं मद का नाम	बजट प्राविधान	अवमुक्त
12– कार्यालय फर्नीचर उपकरण	2200	2200
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	450	450
26– मशीनें, साज–सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	43000	43000
42– अन्य व्यय	21000	21000
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4300	4300
47– कम्प्यूटर अनु0 एवं तत्संम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2200	2200
योग	**₹ 73150**	**₹ 73150**

(ख) टी0एस0पी0:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 अनुदान संख्या 31 आयोजनागत

लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना, 0301–आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (ट्रायबल सब प्लान)।

धनराशि हजार रू0 मे

मद संख्या एवं मद का नाम	बजट प्राविधान	अवमुक्त
12– कार्यालय फर्नीचर उपकरण	900	900
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	220	220
26– मशीनें, साज–सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	16000	16000
42– अन्य व्यय	12000	12000
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	750	750
47– कम्प्यूटर अनु0 एवं तत्संम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	450	450
योग	**₹ 30320**	**₹ 30320**

2– वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

3– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेंट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुंसगत नियम, शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां शासनादेश संख्या बी–2–2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाय, जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

7— विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या 30 एवं 31 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सुसंगत लेखों शीर्षकों से वहन किया जायेगें।

9— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 का अक्षरतः पालन करते हुए तद्नुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या—119(P)/XXVI(5)/2015—16 दिनांक 02 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 111 /XLI-1/15 तद्दिनांकित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संबंधित जिलाधिकारी।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव'— अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
11. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।